## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

**पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

प्रकरण सं0 24/2026

दायर दिनांक: 23.01.2026

**उनवान**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

प्रार्थी

**बनाम**

1. गोकुललाल पि. कालूलाल जाति मेघवाल नि. रामठी तहसील पिडावा
2. बालीबाई पि. कालूलाल जाति मेघवाल नि. रामठी तहसील पिडावा
3. चन्दीबाई पि. कालूलाल जाति मेघवाल नि. रामठी तहसील पिडावा
4. कमलाबाई पत्नि कालूलाल जाति मेघवाल नि. रामठी तहसील पिडावा

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट**

उपस्थिति :-
प्रार्थी :- पैरोकार सरकार
अप्राथीगण :- एकतरफा

**आदेश** दिनांक : 18/03/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम रामठी तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 603/210 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि उक्त निमयन की गई भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक संलगन है। उक्त चाह का नियमन राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार चरागाह भूमि में बनाये गये कुएं का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 27.11.2010 द्वारा किया गया है जिसका नामान्तरण संख्या 636 दिनांक 28.11.2010 से गैर खातादार दर्ज किया गया। आवंटन आदेश व [illegible] है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार [illegible] के आदेश होने से चाह नियमन के बाद दर्ज नामान्तरण [illegible] किया गया है। संलग्न है। उक्त वर्णित नियमों के प्रावधानों में [illegible] भूमि पर बनाये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, [illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

पृ.भो को नियमित कर गैर खातेदार में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय राज. उच्च न्यायालय ने जयनारायण बनाम राजस्व मण्डल व अन्य मामले में प्रतिपादित किया है कि राज. काश्तकारी अधिनियम 16 की भूमियों को आवंटन/नियमितिकरण किया जाना विधि विरूद्ध है। 10 वर्षों के पश्चात आवंटनकर्त्ता को लीज को रिन्यूवल नही कराया गया अतः आवंटन खारीज योग्य है। लीज दिनांक से आज दिनांक तक लीज रेन्ट जमा नहीं कराया गया है न ही लीज रेन्ट की आंक कायमी की गई है। अतः निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अन्तर्गत नियमित किये गये ख.नं. 603/210 रकबा 0.0126 है. किस्म गे.मु.चाह का नियमितिकरण खारीज कर पुनः चरागाह दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 06.03.2026 से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3 प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम रामठी की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 247, ग्राम रामठी का नामा.सं. 636 दिनांक 28.11.2010, सं. 2070–73 के खाता सं. 214 की जमाबंदी, सं. 2070–73 व 2076–79 की खसरा गिरदावरी पेश की।

4 प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रामठी के खाता सं. 409 के ख.नं. 603/210 रकबा 0.0126 गे.मु.चाह अप्रार्थी कालू पि. रामदा मेघवाल सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिचाई प्रयोजनार्थ कुये खोदने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के तहत रिकार्ड में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितिकरण कर ... /– की लीज रेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(4)

जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 27.11.2010 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरूद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5 पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पासे अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम रामठी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 603/210 रकबा 0.0126 है. किस्म गे.मु.चाह अप्रार्थी कालू पि. समदा मेघवाल सा. देह की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम रामठी के नामा.सं. 636 दिनांक 28.11.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 15 में *"आवंटन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 27.11.2010 उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेशानुसार ख.नं. 210 रकबा 0–01 बीघा गे.मु.चाह को कालू पि. समदा मेघवाल को गैरखातेदार दर्ज करने का आदेश हुआ है। नामा.दर्ज कर पेश है"* का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 210 रकबा 0–01 बीघा भूमि पर बने कुए का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था।

7. राजस्थान भू.राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमो के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 श[illegible] नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि [illegible] नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 [illegible] कुएं या पम्प सेट को उपयोग मे लिए जाने की समयावधि में [illegible] — जो भी पहले हो—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी



Scanned with OKEN Scanner

के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अधीन आवटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है –

<u>Rule 7. Conditions of allotment</u>.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Govemment under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) [illegible]ment structure or buildings, except well and pu[illegible] house shall be [illegible]cted on the land without the previous sanction [illegible]nt; (vii) The allottee

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(6)

shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरूद्ध टाईपिग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के आदेश दिनांक 27.11.2010 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिक्रमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व[illegible] अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपिकीय/टाईपिंग त्रु[illegible] दर्ज की गई अशुद्धि को दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible] अधिकारी
पिड़ावा [illegible] (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

(7)

10 उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम रामठी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 603/210 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह के संबंध मे राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित मे स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम रामठी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 603/210 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरूस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:19 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner